



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052026-273004
CG-DL-E-31052026-273004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2654]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2747(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) के साथ पठित मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(क) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“28क	एम1- वातानुकूलन प्रचालन से श्रेणी को मापने की रीति, प्रवर्ग के विद्युत शक्ति रेलगाड़ी (इलैक्ट्रिक पावरट्रेन) यान	समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस-213	1 अप्रैल, 2027”।

(ख) क्रम संख्या 31 के सामने, मद संख्या ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ 2, स्तंभ 3, और स्तंभ 4 में, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(2)	(3)	(4)
“(घ) एम1- प्रवर्ग के यानों के लिए वातानुकूलन प्रचालन से ईंधन की खपत का परीक्षण	समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस-213	1 अप्रैल, 2027”।

[फा. सं. आरटी-11036/192/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 3467(अ), तारीख 22 जुलाई, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2747(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(2) In the said notification, in the Table,-

(a) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“28A	Electric Power Train Vehicles of Category M1 – Method of Measuring the Range with Air conditioning in operation	AIS-213, as amended from time to time.	1st April, 2027”;

(b) against serial number 31, after item number (c) and entries relating thereto, in columns (2), (3) and (4), the following items and entries shall be inserted, namely:-

(2)	(3)	(4)
“(d) Fuel consumption test with Air-conditioning system in operation for M1 category vehicles	AIS-213, as amended from time to time	1st April, 2027”.

[F. No. RT-11036/192/2025-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004 and was last amended *vide* S.O. 3467(E) dated 22nd July, 2025.